

कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 32/2018 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री श्याम सुन्दर पुत्र श्री भोलूराम मार्फत जिन्दल रेडियो एण्ड टी.वी.
सैन्टर पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

—प्रत्यार्थी

आदेश

दिनांक:- 01.06.2018

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के विरुद्ध प्राप्त हुई।

अपीलार्थी उपस्थित नहीं। अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु संख्या 2 की सूचना नहीं दी गई है। सूचना उपलब्ध करवाने हेतु अपीलार्थी द्वारा यह अपील की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के पत्र क्रमांक 647 दिनांक 15.5.2018 के साथ संलग्न पत्र क्रमांक 354 दिनांक 15.03.2018 की प्रति का अवलोकन करने से यह तथ्य सामने आया है कि उनके द्वारा बिन्दु संख्या 2 की सूचना के संबंध में अपीलार्थी के आवेदन पत्र को धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा को अंतरित किया गया है जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की गई है। ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा को निर्देश दिये जाते हैं कि आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 2 के संबंध में सूचना अपीलार्थी को नियमानुसार उपलब्ध करवाये। अपीलार्थी की यह अपील उक्तानुसार निर्णित की जाती है। आदेश की प्रति दोनों पक्षों को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ